

क्रमांक / शिक्षा.स्थापना-4/375/2019/30483  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/11/19

आयुक्त,  
कोष एवं लेखा,  
पर्यावास भवन भोपाल ।


विषय :- नवीन शिक्षक संवर्ग के सातवें वेतनमान के संबंध में ।

मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 04-22/2019/1/25 दिनांक 09/10/2019 की कंडिका 2.1 में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती नियम 2018 के नियम 4 (1) के अंतर्गत सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवायें दिनांक 01.07.2018 से प्रारंभ होगी । तदनुसार इस सेवा में नियुक्ति पर दिनांक 01.07.2018 की स्थिति में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन निर्धारण किया जायेगा ।

उपरोक्त के अनुक्रम में म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति (शिक्षण संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम दिनांक 8 अगस्त 2018 की प्रति संलग्न है, के अंतर्गत दिनांक 01.07.2018 से सुसंगत पदों पर नियुक्त एवं जिला पंचायत से छटवें वेतनमान का वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त लोक सेवकों को सातवें वेतनमान दिनांक 01.11.2019 से (नवंबर paid in दिसम्बर 2019) प्रदान किया जाए । सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के पूर्व, जिला पंचायत से छटवें वेतनमान में निर्धारित वेतन तथा IFMIS पर प्रदर्शित वेतन में यदि अंतर प्रदर्शित होता है तब डी.डी.ओ. स्तर पर उक्तानुसार सुधार हेतु अवसर दिया जाकर विसंगति दूर करने के पश्चात् सातवें वेतनमान में वेतन का निर्धारण किया जाये ।

सातवें वेतनमान में नियमानुसार वेतन निर्धारण अनुमोदन के उपरांत एरियर प्रदाय के संबंध में पृथक से समुचित आदेश जारी किये जायेंगे ।

संलग्न :- 1. म.प्र. शासन आ.जा.क. मंत्रालय  
के ज्ञाप क्रमांक एफ 04-22/2019/1/25  
दि. 09/10/2019 की प्रतिलिपि  
2. आ.जा.क.(शिक्षण संवर्ग) की सेवा शर्तें एवं  
भर्ती नियम दिनांक 8 अगस्त 2018 के राजपत्र की  
प्रति

  
आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश.




//2//

भोपाल, दिनांक 22/11/19

क्रमांक / शिक्षा.स्थापना-4/375/2019/30484  
प्रतिलिपि :-

- 1/- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
- 2/- निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 3/- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 4/- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 5/- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
- 6/- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।
- 7/- समस्त आयुक्त, नगर पालिका निगम, मध्यप्रदेश ।
- 8/- समस्त संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ।
- 9/- समस्त संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश ।
- 10/- समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश ।
- 11/- समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
- 12/- समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश ।
- 13/- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश ।

  
आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश.